न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 79/2016

श्री रामदेव पुत्र श्री बरदा जाति रेगर निवासी ग्राम फतेहगढ़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्री चन्दा उर्फ हरचंदा पुत्र श्री बालू.
2. श्री रामा पुत्र श्री जगन्नाथ
3. श्रीमती झमकू पत्नी श्री उगमा
4. श्री कल्याण (नाम तर्क किया)
5. श्री मोहन
6. श्री देवालाल
   पुत्रगण श्री उगमा
7. श्रीमती सुगनी
8. श्रीमती पारी
9. श्रीमती मोतिया
   पुत्रियां श्री उगमा
10. उदी पुत्री नन्दा
11. श्री पप्पू पुत्र श्री नन्दा
12. बसन्ती पत्नी श्री शिवराज
13. श्री राजू
14. श्री दीपू
    पुत्रगण श्री शिवराज
15. चन्द्रकला
16. पुष्पा
    पुत्रियां श्री बाबू
17. श्री राकेश पुत्र श्री बाबू
18. चन्द्रलेखा पुत्र श्री बाबू

    समस्त जाति मीणा निवासीगण रात्यां का झोपड़ा, तहसील सावर, अजमेर।

.....रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री दिनेश कुमार, वकील रेस्पोन्डेन्टस की ओर से ।
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

—: आदेश :—

दिनांक 26.04.2017

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि श्री रामदेव पुत्र श्री बरदा जाति रेगर निवासी ग्राम फतेहगढ़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर ने तहसीलदार सावर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम घटियाली स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 4576, 4577, 4578 व 4586/6306 प्रार्थी के पिता की खातेदारी भूमि थी, जो राजस्व रेकार्ड में अनोपी, लालाराम व हीरा पुत्रगण श्री बरदा के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजी को दो भिन्न–2 विक्रय पत्र दिनांक 12.06.1969 के आधार पर रेस्पोन्डेन्टस ने क्रय करना कथन करते हुए विवादित भूमि पर कब्जा कर लिया है। अतः रेस्पोन्डेन्टस को विवादित भूमि से बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को दिलवाया जावे। तहसीलदार सावर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 2/2015 पंजीकृत कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 28.10.2015 को आदेश पारित कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 28.10.2015 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्टस के नाम नोटिस जारी किए गये। रेस्पोन्डेन्टस जरिये वकील उपस्थित हुए। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

बहस प्रारंभ होने से पूर्व वकील रेस्पोन्डेन्टस ने मियाद के बिन्दु पर प्रारंभिक एतराज दर्ज करवाते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपील लगभग 4 माह के विलम्ब से पेश की गई है। अतः अपील मियाद बाहर होने से ही निरस्त योग्य है। वकील रेस्पोन्डेन्टस द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए वकील अपीलान्ट ने न्यायालय का ध्यान धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी न ही उन्हें अभिभाषक द्वारा दी गई। उन्होंने कथन किया कि दीपावली के पर्व पर माह दिसम्बर में गांव आने व वकील साहब से मिलने पर जानकारी हुई है। अतः मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जानकारी दिनांक से अपील को अन्दर मियाद मानकर अपील गुणावगुण पर निर्णित की जावे। वकील रेस्पोन्डेन्ट्स ने जवाबुलजवाब में कथन किया कि मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी को प्रार्थना पत्र/अपील पेश करने में हुए विलम्ब का दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण एवं संतोषजनक कारण बताना आवश्यक है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान आर.आर.डी. 1967 पेज 256, ए.आई.आर. 1998 वेज 2276, आर.आर.डी. 1981(एल.बी.) पेज 624 व आर.आर.डी. 1994 पेज 773 पर प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में विलम्ब बाबत् कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किए है तथा न ही अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध करवाई है। अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से निरस्त की जावे। हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित

Scanned by CamScanner

में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि उनके पिता श्री बरदा की खातेदारी की कृषि भूमि थी। पिता की मृत्यु पश्चात् अपीलान्ट व अनोपी, लालाराम व हीरा पुत्रगण बरदा के नाम खातेदारी में चली आ रही है। विवादित भूमि को दो भिन्न–भिन्न विक्रय पत्रों दिनांक 12.06.1969 से क्रय करना कथन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा जबरन विवादित भूमि पर कब्जा का लिया गया जबकि उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर उनका नाम कभी राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं किया गया। उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष खातेदारी घोषणा बाबत् वाद भी प्रस्तुत किया गया, जिसे उपखण्ड अधिकारी केकड़ी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.10.2009 द्वारा विक्रय पत्रों को शून्य एवं प्रभावहीन होना मानते हुए खारिज कर दिया। चूंकि अपीलान्ट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा रेस्पोन्डेन्टस गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जिनके पक्ष में यदि कोई विक्रय पत्र दिनांक 12.06.1969 है तो वह भी धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पूर्णतया अवैध है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी में प्रावधित प्रावधानों को पूर्णतया दरकिनार करते हुए जो आदेश किये है वो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी नजरअंदाज कर दिया है कि धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही समरी कार्यवाही है जिसके तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की भूमि को अतिशीघ्र अतिक्रमण से मुक्त करवा कर कब्जा दिलवाना है, उक्त समरी कार्यवाही में कानूनन आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 के प्रावधान लागू नहीं होते है न ही ऐसी समरी कार्यवाही में बार्ड बाई लॉ जैसी कोई स्थिति न्यायालय के समक्ष स्पष्ट थी। उन्होंने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट को धारा 183 बी की समरी कार्यवाही में मात्र यह सिद्व करना था कि वह एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसकी भूमि पर रेस्पोन्डेन्टस द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है, इसके पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वह अवैधानिक कब्जे बाबत् विस्तृत जांच एवं सुनवाई कर विधिवत् निर्णय पारित करते किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समरी कार्यवाही में ही दावे के समान आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 लागू होना मानते हुए आक्षेपीय आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है कि मियाद का बिन्दु तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है जिसे बिना साक्ष्य, सबूत के तय नहीं किया जा सकता। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान आर.आर.टी. 2014–15(Supp.) पेज 201 पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए आगे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वह मियाद बिन्दु पर पक्षकारान से सम्पूर्ण साक्ष्य सबूत प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रकरण का अन्तिम तौर पर निस्तारण करते। उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा

Scanned by CamScanner

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत खातेदारी घोषणा बाबत् नियमित वाद निरस्त किया जा चुका है तथा पंजीकृत विक्रय पत्र धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पूर्णतया अवैध है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2015 निरस्त किया जाकर अपील तहसीलदार सावर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे दोनों पक्षों को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर पूर्ण जांच पश्चात् नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 13.10.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर कलेक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner